

## अंतिम डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाया दीवानी)

( Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आरएस

शांति देवी

बनाम

गोपाल आदि

दावा बाबत बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरुस्ती

मुकदमा नं० 225/दावा/2012

निर्णय दिनांक 15.06.2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू जगदीश प्रसाद गौड़, आरएस बहाजरी श्री भवानीसिंह शेखावत वकील मिनजानिब मुददई व हनुमान प्रसाद जागिड वकील मिनजानिब मुददालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, तहसीलदार, दांतारामगढ के पत्रांक भूअ/15/4369 दिनांक 08.06.2015 के द्वारा प्राप्त बंटवारा स्कीम मय नक्शा प्राप्त होने पर अंतिम डिकरी निम्न प्रकार से दी जाती है:-

### 1- ग्राम बनाथला

खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
1. गोपाल पुत्र भैरू राहिन एसबीबीजे शाखा खाटूश्यामजी मूर्तहीन हि० 106/172 खेमराम पुत्र भैरू राहिन बीआरकेजीबी शाखा बाय मूर्तहीन हि. 66/172 जाति मीणा सा.देह खातेदार	195/1	1.72	बा.2	6.88
2. शांति देवी धर्मपत्नी पाबूदान जाति मीणा सा.देह खातेदार	195/2	0.25	बा.2	1.00
	किता 2	1.97 है०		

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज ..... मुबलिंग..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 जून, 2015 को जारी की गई।



दस्तखत  
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ  
आहदा

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4	00	स्टाम्प वकायलतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक	3	00			
मीजान	8	00	मीजान	1	00

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर  
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड, आर.ए.एस

प्रकरण सं० 225 / 12 / दावा

शांति देवी धर्मपत्नी स्व. पाबूदान आयु 70 साल जाति मीणा निवासी बनाथला तहसील  
दांतारामगढ जिला सीकर

-वादीया

बनाम

1. गोपाल पुत्र भैरूराम आयु 58 साल
2. खेमराम पुत्र भैरूराम आयु 60 साल  
समस्त जाति मीणा निवासीगण बनाथला तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर
4. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर

-प्रतिवादीगण


उपस्थिति-

1. श्री भवानीसिंह शेखावत वकील वादीया की ओर से
2. हनुमानप्रसाद जांगिड़ वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से

दावा बाबत बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरुस्ती

निर्णय

दिनांक- 15.06.2015

  
उपखण्ड अधिकारी (जगदीश प्रसाद गौड)  
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ